उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-25/2023/अ0मु0स0-222/एक-1-2023-
1-1099/135/2023
लखनऊ: दिनॉक: 03 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

चूंकि ग्राम अमानुल्लापुर का नाम परिवर्तित करके जमुना नगर किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के पत्र संख्या-135/सात-सी0एफ0-38/2015-16-भूलेख, दिनांक-21.09.2020 द्वारा प्रस्तावित और आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्र संख्या-40/9-31/2019-20, दिनांक-03.10.2020 द्वारा तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-1859/9-23/2020 दिनांक-23.11.2020 द्वारा संस्तुत किया गया है। भूमि प्रबंध समिति ने भी उक्त ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है।

2. और चूंकि, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-11/05/2022- एम एण्ड जी, दिनांक-20.06.2023 द्वारा जिला-सीतापुर के ग्राम अमानुल्लापुर का नाम "जमुना नगर" परिवर्तित किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया है।

3. अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक दिनांक-11-09-1953 एवं संख्या-11/05/2022-एम एण्ड जी, दिनांक-20.06.2023 के निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित उक्त ग्राम "अमानुल्लापुर" का नाम परिवर्तित करती हैं।

4. राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो राजस्व ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
अमानुल्लापुर	जमुना नगर

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in